बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

पत्रांक :– 6/ग्रा0 ज0 1–101/2015 258 (ग्रा0) पटना – 15 ,दिनांक :– 31/10/2017

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, खगड़िया।

विषय :– वर्ष 2017–18 में "मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु 17.06 लाख रूपये (सत्रह लाख छः हजार रूपये) मात्र का आवंटन।

"मुख्यमंत्री चापाकल योजना" के तहत बिहार विधान सभा के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति पंचायत पाँच तथा शहरी क्षेत्रों में नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड तीन, नगर परिषद क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड दो तथा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत प्रति वार्ड एक की दर से नये चापाकलों का निर्माण एवं बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्यों की अनुशंसा पर प्रति सदस्य 100 की दर से चापाकलों के निर्माण तथा निर्मित चापाकलों के अगले पाँच वर्षों तक रख–रखाव एवं मरम्मति हेतु विभागीय पत्रांक – 6/ग्रा0 ज0 1–101/2015 – 1777 दिनांक 08/07/15 द्वारा 26235.709 लाख रूपये की स्वीकृति दी गयी है। वर्ष 2017–18 के राज्य योजना अन्तर्गत इस योजना से चापाकलों के निर्माण हेतु 17.06 लाख रूपये (सत्रह लाख छः हजार रूपये) मात्र का आवंटन निम्नांकित तालिका के अनुसार किया जाता है :–

क्रम संख्या	प्रमण्डल का नाम	माननीय बिहार विधान परिषद सदस्य का नाम	माननीय सदस्य द्वारा अनुशंसित स्थलों की संख्या	आवंटित राशि (लाख रूपये में)	
				अंकों में	
1	2	3	4	6	2
1	खगड़िया	श्री सोने लाल मेहता	100	17.06	सत्रह लाख छः हजार रूपये मात्र।
	कुल		100	17.06	सत्रह लाख छः हजार रूपये मात्र।

2. इस योजना पर होने वाला व्यय बजट का मुख्य शीर्ष – 4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय – उपमुख्य शीर्ष – 01 जल पूर्ति – लघु शीर्ष – 102 ग्रामीण जल पूर्ति – मांग संख्या – 36 – उप शीर्ष – 0103 ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्स, कूप, नलकूप द्वारा) – विपत्र कोड – 36 4215011020103 – विषय शीर्ष – 0103.53.01 मुख्य निर्माण कार्य मतदेय शीर्ष में भारितव्य होगा।

3. इस आवंटन के अन्तर्गत किया जाने वाला व्यय बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता, बिहार वित्तीय नियमावली एवं इनके अन्तर्गत निर्गत सभी सरकारी आदेश के अनुरूप किया जायेगा।

4. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत योजना के अनुसार निर्माण कार्य पर ही किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में स्थापना या दूसरे मद में इस राशि का खर्च नहीं किया जायेगा।

5. आवंटित राशि वित्त विभाग के पत्रांक – एम0 04 – 05/98 – 2561 (वि0 – 2) दिनांक – 17–04–98 के अधीन निकासी हेतु विमुक्त है।

6. कार्यों का प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह की 10वीं तारिख तक मुख्यालय को निर्धारित प्रपत्र में अवश्य भेज देंगे। प्रगति से जिला पदाधिकारी को भी नियमित रूप से अवगत कराते रहेंगे।

ह0/- 30/10/2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव

ज्ञापांक :- 258 (भा0) पटना, दिनांक :- 31/10/2017

प्रतिलिपि -- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार / प्रमंडलीय आयुक्त, कोसी को सूचनार्थ प्रेषित।

3. जिला पदाधिकारी, खगड़िया / उप विकास आयुक्त, खगड़िया को सूचनार्थ प्रेषित।

4. कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5. आप्त सचिव, माननीय मंत्री, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

6. प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अभियन्ता प्रमुख सह विशेष सचिव / मुख्य अभियन्ता (नागरिक) / मुख्य अभियन्ता (यॉंत्रिक) / क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, भागलपुर / विशेष पदाधिकारी / अधीक्षण अभियन्ता (मो0) / अधीक्षण अभियन्ता, बेगुसराय / कार्यपालक अभियन्ता –सह– नोडल पदाधिकारी / उप निदेशक (मू0) को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित / कार्यपालक अभियन्ता (मो0 I) / निदेशक, (जल गुणवत्ता) / सहायक अभियन्ता (मूल्यांकण) / प्रभारी, डाटा सेन्टर (वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु) / ~~आई0~~ टी0 मैनेजर / प्रशाखा पदाधिकारी – 4, 6 / कार्यवाह सहायक प्रशाखा 6 को अतिरिक्त 2 प्रतियों सहित संचिका में रखने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 30/10/2017
(दिनेश्वर प्रसाद सिंह)
अभियन्ता प्रमुख –सह– विशेष सचिव